कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः—व—15 ख (23) अप.शा./विधि/2014/ 10530-82 दिनांक : 10/7/14

परिपत्र

विषयः—दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41—क के प्रावधानों की पालना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (1) के अनुसार पुलिस वारन्ट के बिना निम्न परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है :—

(क) जो व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है।

(ख) जिस व्यक्ति के विरूद्ध युक्तियुक्त परिवाद किया गया है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने ऐसा दण्डनीय संज्ञेय अपराध किया है जिसकी सजा ऐसे कारावास से जो 7 वर्ष तक या 7 वर्ष से कम जुर्माने सहित या जुर्माने बिना दण्डनीय है। यदि निम्नलिखित शर्ते पूरी कर दी जाती है :—

(iii) पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, जानकारी या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है,

(iv) पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी निम्नलिखित के लिए आवश्यक है।

(क) ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से निवारित करने, या

(ख) अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए, या

(ग) ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति में छेड़छाड़ करने से निवारित करने, या

(घ) ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जो मामले के तथ्यों से परिचित हैं, कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वायदा करने से निवारित करने, जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, या

(ड) जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक न्यायालय में उसकी उपस्थिति, जब भी अपेक्षित हो सुनिश्चित नहीं की जा सकती, और तो पुलिस अधिकारी ऐसे गिरफ्तारी करते समय उसके कारणों को लेखबद्ध करेगा परन्तु उन सभी मामलों में जहा इस उप धारा के उपबन्धों के अधीन गिरफ्तारी आवश्यक नही है, पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी न करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम 2008 (2009 का अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41–क अन्तः स्थापित की गई है, जो 01.11.2010 से प्रभावी है एवं निम्नानुसार है :–

41–क पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की सूचना

1. पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में जहां किसी व्यक्ति को धारा 41 की उप–धारा (1) के उपबन्धों के तहत गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं हो, अपने समक्ष या ऐसी अन्य जगह पर, उसे नोटिस जारी करेगा। उसे उपस्थित होने के लिए व्यक्ति, जिसके विरूद्ध उचित शिकायत की गई हो, या विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो या उचित शक हो कि उसने संज्ञेय अपराध किया है, को निर्देश प्रदान करते हुए नोटिस जारी कर सकता है।

2. जहां किसी ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया हो, वहां नोटिस की पालना करना उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा।

3. जहां ऐसे व्यक्ति नोटिस की पालना करता है और पालना करना जारी रखता है, वहां नोटिस में वर्णित अपराध के संबंध में उसे तब तक गिरफ्तार नहीं किया जायेगा, जब तक कि लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों के लिए, पुलिस अधिकारियों की यह राय नहीं हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

4. जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय, नोटिस के निबंधनों का पालन करने में विफल रहता है या स्वयं की शिनाख्त का अनिच्छुक होता है वहां पुलिस अधिकारी, ऐसे आदेशों जो किसी सक्षम न्यायालय द्वार इस निमित पारित किये गये हों, के अध्यधीन, नोटिस में उल्लेखित अपराध के लिए उसको गिरफ्तार कर सकेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (ख) के अनुसार गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के निम्नांकित कर्तव्य हैं :–

(क) अपने नाम की सही, प्रकट और स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जिससे उसकी आसानी से पहचान हो सके।

(ख) गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार करेगा जो –

(i) कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा जो गिरफ्तार किए गये व्यक्ति के परिवार का सदस्य है या उस परिक्षेत्र का, जहां गिरफ्तारी की गई है गणमान्य सदस्य है,

(ii) गिरफ्तार किए गये व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा, और

(ग) जब तक उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा ज्ञापन को अनुप्रमाणित न कर दिया गया हो, गिरफ्तार किए गये व्यक्ति को यह सूचना देगा की उसे यह अधिकार है कि उसके किसी नातेदार या मित्र को, जिसका वह नाम दे, उसकी गिरफ्तारी की सूचना दी जाय।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (ग) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले व राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित हैं। जिले के नियंत्रण कक्ष के बाहर रखे गये

सूचना पट्ट पर गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों के नाम व पते तथा उन पुलिस अधिकारियों का नाम व पदनाम जिन्होंने गिरफ्तारियां की है लिखे जायेगे। राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष समय समय पर गिरफ्तार व्यक्तियों के व अपराध की प्रकृति के बारे में विवरण एकत्रित करेगा व आम जनता की सूचना के लिए आंकड़े रखेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (घ) के अनुसार जब किसी व्यक्ति को, गिरफ्तार किया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, तो वह पूछताछ के दौरान, यद्यपि सम्पूर्ण पूछताछ में नहीं, अपनी पसन्द के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा।

(अजीत सिंह)
अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा, राज., जयपुर।

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर,
2. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेंज राजस्थान मय जी.आर.पी. जयपुर।
3. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण, राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।

अति. महानिदेशक पुलिस,
अपराध शाखा, राज., जयपुर।